कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3212 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 07/06/ 2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **जनपद बागेश्वर अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के किमी0 133.00 से 170.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 22.112 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में (प्रस्ताव सं0- 151113/2022)।**

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/73/2022/एफ0सी0/ 463 दिनांक 06.07. 2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर की पत्र संख्या 4407/12-1(2) दिनांक 12.05.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जिस पर भारत सरकार द्वारा अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 06.07.2023 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य अन्तर्गत केवल उत्तरी बिन्सर क0सं0 33 को उक्त प्रस्ताव से प्रभावित दर्शाया गया था एवं इसके अन्तर्गत कुल 994 चीड़ वृक्षों का उक्त प्रस्ताव से प्रभावित होने उल्लेख किया गया था परन्तु प्रकरण में यह ज्ञात हुआ है पूर्व में की गयी गणना त्रुटिपूर्ण है एवं उक्त प्रस्ताव में बिन्सर वन्यजीव विहार के उत्तरी बिन्सर क0सं0 33 एवं 34 प्रभावित हो रहे हैं, जिसके अन्तर्गत प्रभावित होने वाले कुल 996 वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवर्गवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :-

कक्ष/ब्लॉक का नाम	वर्तमान में प्रेषित विभिन्न प्रजातिवार वृक्षों की संख्या										
	प्रजाति	व्यासवर्ग									योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80 से अधिक	
उत्तरी बिन्सर कक्ष सं0 33	चीड़	34	32	37	24	16	5	4	-	-	152
	काफल	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	बांज	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	कोकाट	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	योग	**37**	**32**	**37**	**24**	**16**	**5**	**4**	**0**	**1**	**156**
उत्तरी बिन्सर कक्ष सं0 34	चीड़	186	173	69	50	45	34	11	3	-	571
	काफल	33	43	24	9	-	1	-	-	-	110
	बांज	29	10	3	1	2	1	3	1	2	52
	बुरांश	32	11	2	5	1	-	-	-	-	51
	अयार	17	13	9	3	-	-	-	-	-	42
	उत्तीस	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	देवदार	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	कोकाट	4	2	2	2	-	-	-	-	-	10
	योग	**301**	**254**	**110**	**71**	**48**	**36**	**14**	**4**	**2**	**840**
कुल योग		**338**	**286**	**147**	**95**	**64**	**41**	**18**	**4**	**2**	**996**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक 30.05.2024 को उक्त क्षेत्र का प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा प्रस्तावक विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है एवं प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को प्रकरण पर तद्समय के सम्बन्धित कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

चूंकि उक्त प्रस्ताव से प्रभावित हो रही वन भूमि का कुछ क्षेत्र बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आ रहा है, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 5–3/2011–एफ0सी0(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के पैरा 3 के अनुसार वन्यजीव अभ्यारण्य हेतु वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य 5 गुना प्रभारित किया जाएगा, परन्तु इस प्रकरण में निवल वर्तमान मूल्य सामान्य रूप से – 1 गुना ही प्रभारित किया गया है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में प्रेषित करते हुए सादर अनुरोध करना है कि प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन करने की कृपा करें।

भवदीय

(डॉ0 कोको रोसे)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक– 3212 / 12-1-(2) दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 कोको रोसे)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 5066 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 30-5- 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय – चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/31090/2017**

संदर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,लोहाघाट की पत्र संख्या 625/6 C दिनांक 30.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में कार्यालय– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 2407/12–1 दिनांक 24.05.2024 द्वारा तीन बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रषित की जा रही है:–

क0 सं0	प्रस्ताव में पाई गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1.	प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के0 एम0 एल0 फाईल में अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के0एम0एल0 फाईल में अंकित कर दिया गया है।
2	स्थिति स्पष्ट नहीं कि गयी है कि मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन निहित है अथवा नहीं	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया है कि निर्माण के दौरान मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक नहीं है।
3	मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में प्रस्तावित मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत पुनर्ग्रहण योजना उपलब्ध करायी जानी है, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया है कि मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा जो भी कार्ययोजना प्रस्तावित की जाएगी , उसे प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(आर0सी0काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांक / तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक 625 /6C दिनांक 30/ 05 / 2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत
प्राप्ति पत्रांक 9862
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 30-5-2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय– जनपद–चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर–पिथौरागढ एन0एच0 125 (नया–09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वनभूमि का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/31090/2017)

संदर्भ– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2407 / 12–1: देहरादून दिनांक 24.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को सम्बोधित तथा पृष्ठांकित आपको एवं इस कार्यालय को है, के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:–

बिन्दु संख्या	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के0एम0एल0 फाईल में अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के0एम0एल0 फाईल में अंकित कर अपलोड कर दी गयी है।
2	स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है कि मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन निहित है अथवा नहीं।	निर्माण के दौरान मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक नहीं है। पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक 458 / चारधाम परियोजना / चम्पावत बाईपास दिनांक 20.04.2024 के निराकरण क्रमांक संख्या 1 एवं आपके पत्रांक 4719 / 12–1 चम्पावत दिनांक 04.05. 2024 के निराकरण क्रमांक संख्या 1 में भी स्पष्ट कर दिया गया था (छायाप्रति संलग्न)।
3	मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में प्रस्तावित मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत पुनर्ग्रहण योजना उपलब्ध करायी जानी है, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।	मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में प्रस्तावित मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा जो भी कार्ययोजना प्रस्तावित की जायेगी, उसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(इं. आशुतोष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

पत्रांक / दिनांक / 05 / 2024

प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट